

कम.संख्या-210

राज.नं.एल.डब्लू./एन.पी.890

लाइसेंस नं० डब्लू० पी०-41.

लाइसेंस टू पोस्ट एंड कन्सिशनल रेट



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 जुलाई, 1999

श्रावण 6, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1544/समह-वि-1-1(क)25-1999

लखनऊ, 28 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 27 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 5 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 14
सन् 1994 का
निरसन

जाता है।

2—उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 एतद्वारा निरसित किया

निरसन

3—उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अध्यादेश, 1999 को एतद्वारा
निरसित किया जाता है।

प्राज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1544(2)/XVII-V-1-1-(KA) 25-1999

Dated Lucknow, July 28, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal (Nirasan) Adhinyam, 1999, (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 28 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature assented to by the Governor on July 27, 1999.

THE UTTAR PRADESH SHANTI SURAKSHA BAL (NIRASAN)
ACT, 1999

(U. P. ACT NO. 28 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal Adhinyam, 1994.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal (Nirasan) Adhinyam, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 5, 1999.

Repeal of U. P.
Act no. 14 of
1994

2. The Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal Adhinyam, 1994 is hereby repealed.

Repeal

3. The Uttar Pradesh Shanti Suraksha Bal (Nirasan) Adhyadesh, 1999 is hereby repealed.

U.P.
Sankhya
of 1999

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.